

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्- गोपालगंज, दाउदनगर एवं औरंगाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- बेलसंड, नवगछिया, केसरिया एवं महुआ।

पटना, दिनांक- 28/2/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹2506.67400 लाख (पचीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार चार सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹2506.67400 लाख (पचीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार चार सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०- 135 दिनांक- 28/2/19 के आलोक में कुल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, गोपालगंज	वार्ड नं०- 03 में साधु चौक से लखपतिया चौक तक पथ स के उत्तर तरफ आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	140.36300	70.18150	70.18150

2		वार्ड नं०- 02 में नेदुआ टोली से नहर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	126.78800	63.39400	63.39400
3	नगर परिषद्, दाउदनगर	ब्लॉक मोड़ मौलाबाग से पचकठवों देवी मंदिर होते हुए बारूण रोड पारकर सोन तराई तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	238.30000	119.15000	119.15000
4		सुरती पुल से लखन मोड़ होते हुए पचकठवों देवी मंदिर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138.96300	69.48150	69.48150
5	नगर परिषद्, औरंगाबाद	धर्मशाला चौक से अदरी नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	844.26500	422.13250	422.13250
योग (क)			1488.67900	744.33950	744.33950
6	नगर पंचायत, बेलसंड	मुख्य सड़क कदम चौक मेहतर टोला के नजदीक पुल से ब्लॉक के दक्षिण हत्ता तक आर०सी०सी० नाला कवर सहित निर्माण कार्य।	475.74600	118.93650	356.80950
7	नगर पंचायत, महुआ	वार्ड सं०- 06 में ताजपुर मार्ग में वैधनाथ साह के घर के निकट से लेकर मानव आरोग्य अस्पताल होते हुए भारतीय स्टेट बैंक होते हुए जयमंगल राय के घर से निकट नहर तक नाला-निर्माण कार्य।	153.55700	76.77850	76.77850
योग (ख)			629.30300	195.71500	433.58800
8	नगर पंचायत, नवगछिया	कम्युनिष्ट पार्टी ऑफिस से गाँधी चौक होते हुए आनंद मेडिकल से आर०सी० राय तक एवं आनंद मेडिकल से पुरानी थाना चौक होते हुए ध्रुव भगत के घर होते हुए खरनेय नदी तक आर०सी०सी० नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	333.17500	89.10000	244.07500
9	नगर पंचायत, केसरिया	केसरिया थाना चौक दुर्गा मंदिर से शिवजी प्रसाद भुटेली बैठा के घर होते हुए रघवा नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	55.51700	27.75850	27.75850
योग (ग)			388.69200	116.85850	271.83350
योग (क+ख+ग)			2506.67400	1056.91300	1449.76100

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र।

4. आवंटित कुल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. उक्त आवंटित राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 1 से 5 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹744.33950 लाख (सात करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 6 से 7 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹195.71500 लाख (एक करोड़ पंचानवे लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रु०) मात्र निकासी की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215027890101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। **उक्त विपत्र कोड से राशि की निकासी नगर पंचायत, बेलसंड एवं महुआ द्वारा की जाएगी।**


(ग) आवंटित राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 8 से 9 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹116.85850 लाख (एक करोड़ सोलह लाख पचासी हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। **उक्त विपत्र कोड से राशि की निकासी नगर पंचायत, नवगछिया एवं केसरिया द्वारा की जाएगी।**

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

(Handwritten mark)


9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. राज्य योजना मद अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-
- योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।
 - संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
 - स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
 - सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
 - यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 93 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28.12.19
 प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-28/02/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹2506.67400 लाख (पचीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार चार सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹2506.67400 लाख (पचीस करोड़ छः लाख सड़सठ हजार चार सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, गोपालगंज	वार्ड नं०- 03 में साधु चौक से लखपतिया चौक तक पथ स के उत्तर तरफ आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	140.36300	70.18150	70.18150

2		वार्ड नं०- 02 में नेटुआ टोली से नहर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	126.78800	63.39400	63.39400
3	नगर परिषद्, दाउदनगर	ब्लॉक मोड़ मौलाबाग से पचकठवाँ देवी मंदिर होते हुए बारुण रोड पारकर सोन तराई तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	238.30000	119.15000	119.15000
4		सुरती पुल से लखन मोड़ होते हुए पचकठवाँ देवी मंदिर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138.96300	69.48150	69.48150
5	नगर परिषद्, औरंगाबाद	धर्मशाला चौक से अदरी नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	844.26500	422.13250	422.13250
योग (क)			1488.67900	744.33950	744.33950
6	नगर पंचायत, बेलसंड	मुख्य सड़क कदम चौक मेहतर टोला के नजदीक पुल से ब्लॉक के दक्षिण हत्ता तक आर०सी०सी० नाला कवर सहित निर्माण कार्य।	475.74600	118.93650	356.80950
7	नगर पंचायत, महुआ	वार्ड सं०- 06 में ताजपुर मार्ग में वैधनाथ साह के घर के निकट से लेकर मानव आरोग्य अस्पताल होते हुए भारतीय स्टेट बैंक होते हुए जयमंगल राय के घर से निकट नहर तक नाला-निर्माण कार्य।	153.55700	76.77850	76.77850
योग (ख)			629.30300	195.71500	433.58800
8	नगर पंचायत, नवगछिया	कम्युनिष्ट पार्टी ऑफिस से गाँधी चौक होते हुए आनंद मेडिकल से आर०सी० राय तक एवं आनंद मेडिकल से पुरानी थाना चौक होते हुए ध्रुव भगत के घर होते हुए खरनैय नदी तक आर०सी०सी० नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	333.17500	89.10000	244.07500
9	नगर पंचायत, केसरिया	केसरिया थाना चौक दुर्गा मंदिर से शिवजी प्रसाद भुटेली बैठा के घर होते हुए रघवा नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	55.51700	27.75850	27.75850
योग (ग)			388.69200	116.85850	271.83350
योग (क+ख+ग)			2506.67400	1056.91300	1449.76100

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृतादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. उक्त स्वीकृत राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 1 से 5 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹744.33950 लाख (सात करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 6 से 7 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹195.71500 लाख (एक करोड़ पंचानवे लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रु०) मात्र निकासी की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215027890101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। **उक्त विपत्र कोड से राशि की निकासी नगर पंचायत, बेलसंड एवं महुआ द्वारा की जाएगी।**

(ग) उक्त स्वीकृत राशि ₹1056.91300 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख एकानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 8 से 9 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹116.85850 लाख (एक करोड़ सोलह लाख पचासी हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। **उक्त विपत्र कोड से राशि की निकासी नगर पंचायत, नवगछिया एवं केसरिया द्वारा की जाएगी।**

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. राज्य योजना मद अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

- (i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
- (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
- (vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 के पृष्ठ सं०-.....28...../टि० पर दिनांक-27/02/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....29...../टि० पर दिनांक-27/02/2019 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 135 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28/2/19
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।